



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 आषाढ 1939 (श10)

(सं0 पटना 640) पटना, बुधवार, 19 जुलाई 2017

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना सं0-18/2017-राज्य कर (दर)
19 जुलाई 2017

एस०ओ० 115, दिनांक 19 जुलाई 2017—बिहार के राज्यपाल, बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम-12) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना सं0-1/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा—

संशोधन

2. उक्त अधिसूचना में, —

(i) अनुसूची I- 2.5 % में क्रम सं0-182 एवं उनकी प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित नई क्रम संख्याएँ तथा स्तम्भ (2) एवं (3) में उनकी अनुसारी प्रविष्टियाँ अन्तः स्थापित की जायेंगी, यथा—

(1)	(2)	(3)
182क	3102	खनिज या रासायनिक उर्वरक, नाइट्रोजनी, उनसे भिन्न, जिनका स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाना है
182ख	3103	खनिज या रासायनिक उर्वरक, फास्फेटिक, उनसे भिन्न, जिनका स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाना है
182ग	3104	खनिज या रासायनिक उर्वरक, पोटैशिक, उनसे भिन्न, जिनका स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाना है

182घ	3105	खनिज या रासायनिक उर्वरक, जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम में से दो या तीन उर्वरक तत्व अंतर्विष्ट हैं; अन्य उर्वरक; इस अध्याय के माल, टिकियों या वैसे ही रूपों में या पैकेजों में जिनका सकल भार 10 किलोग्राम से अधिक नहीं है, उनसे भिन्न, जिनका स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाना है।
------	------	--

(ii) अनुसूची II – 6% में क्रम सं०-66, 67, 68 एवं 69 तथा उनकी अनुसारी प्रविष्टियाँ विलोपित की जायेंगी।

3. यह अधिसूचना दिनांक 01 जुलाई, 2017 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध/10/2017-18)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

19 जुलाई 2017

एस०ओ० 116, एस०ओ० 115, दिनांक 19 जुलाई 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध/10/2017-18)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 19th July 2017

Notification No.18/2017-State Tax (Rate)

S.O. 115, dated the 19th July 2017—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification No.1/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017 of the Commercial Taxes Department, namely:-

Amendments

2. In the said notification,-

(i) in Schedule I – 2.5%, after serial number 182 and the entries relating thereto, the following serial numbers and corresponding entries in columns (2) and (3) shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)
“182A	3102	Mineral or chemical fertilisers, nitrogenous, other than those which are clearly not to be used as fertilizers
182B	3103	Mineral or chemical fertilisers, phosphatic, other than those which are clearly not to be used as fertilizers
182C	3104	Mineral or chemical fertilisers, potassic, other than those which are clearly not to be used as fertilizers
182D	3105	Mineral or chemical fertilisers containing two or three of the fertilising elements nitrogen, phosphorus and potassium; other fertilisers; goods of this Chapter in tablets or similar forms or in packages of a gross weight not exceeding 10 kg; other than those which are clearly not to be used as fertilizers”;

(ii) in Schedule II – 6%, serial numbers 66, 67, 68 and 69 and the corresponding entries in column (2) & (3) shall be omitted.”

3. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

[(File No. Bikri-kar/GST/vividh-10/2017—18)]

By the order of Governor of Bihar,
Sujata Chaturvedi,
Commissioner-cum-Principal Secretary,
Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 640-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>